

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत ऑनलाईन अपलॉड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. पात्र आशार्थी द्वारा स्वघोषित लिखित आवेदन पत्र (Annexure -1)।
2. योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा अपात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा।
3. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र।
4. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।
5. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र/अंकतालिका।
6. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/डिग्री।
7. प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खोले गये एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की प्रति।
8. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K
9. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र।

Annexure-1

The written declaration as given hereunder will be included at the end of the application form for getting Unemployment Allowance:

I ----- Son/
Daughter/ Wife of Shri ----- Age(date of birth)----
-----resident of -----

-----District----- Rajasthan, hereby declare that the information given above and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false/not true, I will have to face the punishment as per the law. Also, all the benefits availed by me shall be summarily withdrawn.

Signature of applicant

Affix recent
photograph of the
applicant with
signature

प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व-घोषणा

मैं

मुत्र श्री

घोषणा करता हूँ/करती हूँ :-

- (i) ये वेरोजगार इन्जीनियर्स जो कि राज्य सरकार की वेरोजगार इन्जीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
- (ii) इस प्रकार के वेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।
- (iii) इस प्रकार के वेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA में पंजीकृत वेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iv) ऐसे वेरोजगार स्नातक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक हो।
- (v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य वेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में लाभ प्राप्त कर चुके आशार्थी।
- (vi) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।
- (vii) जिनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
- (viii) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।
- (ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो।
- (x) मेरे परिवार में मेरे सहित अधिकतम 2 पात्र व्यक्तियों ने आदिनाक तक अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य वेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त किया हो।

उपरोक्त स्व-घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (x) तक मुझ पर लागू नहीं होते तथा मैं योजनानुसार अपात्र नहीं हूँ। यदि उपरोक्त घोषणा पत्र बाद में झूठा साबित होने पर भारतीय दड संहिता, अपराध दड संहिता तथा अन्य विधि सम्मत कानून के तहत कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

आय का घोषणा पत्र

आवेदक सम्बद्धी आदरशक सूचना (वैकल्पिक विन्दु को ✓ से चयन करें)

1. प्रार्थी का नाम*

प्रार्थी का फॉर्म

(पासपोर्ट साइज)

2. पिता का नाम*

(उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावे)

3. निवास स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता -

(ख) स्थाई पता -

4. गाँव / शहर*

ताहसील*

ज़िला*

5. जन्म दिनांक:

 / /

जन्म स्थान

उम्र

6. लिंग*

पुरुष

महिला

वैवाहिक रिधति : विवाहित

अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)*:

जाति*

उप जाति*

8. क्या आप /आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं?

हाँ

नहीं

9. क्या आप आयकर दाता हैं?

हाँ

नहीं

10. भोवाईल नम्बर

11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बर एवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर एवं वाणिजिक कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	उप्र	सम्बन्ध मुख्यमान से	आग/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	कोरेक्ट जाय (हृष्णे)

अन्य स्त्रीत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेशन, शेयर, मूद्युअल फण्ड)

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ-पत्र संलग्न है।

मैं तसदीक करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक: / /

स्थान:

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री निवासी

पारिवारिक

को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वार्षिक आय रूपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम..... दिनांक..... स्थान.....

(ii) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री निवासी को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वार्षिक आय रूपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम..... दिनांक..... स्थान.....

नोट - आवेदक की नवीनतम फोटो जिस अविदेन पत्र पर दिये गये स्थान पर लिपकाए (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशप्त करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्याग्रहित करायें। उत्तरदायी व्यक्ति यथा - हस्ताद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/विला प्रमुख/प्रधान/विला परिषद्/सदस्य/ग्राम संचाक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेडमास्टर/सम्बन्धित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के विकासक/बी.डी.ओ./सहायक अधिकारी।